14-10-15

पत्रावली पेश हुयी। प्रार्थी के वकील व पेशकार सरकार नायब तहसीलदार उनियारा उपस्थित। प्रकरण में नायब तहसीलदार पेशकार सरकार से रिपोर्ट ली गयी। उभय पक्षों की बहस सुनी गयी। बहस पर गौर किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी सम्वत 2071-74 ग्राम बालीथल खाता संख्या 95, 96, 97, 98 में प्रार्थी का नाम बाबू पुत्र

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक

रामनिवास दर्ज है, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत फोटोप्रति पहचान पत्र मतदाता निर्वाचन आयोग, आधार कार्ड व राशन कार्ड में प्रार्थी का नाम बबलू पुत्र रामनिवास दर्ज है। सरपंच ग्राम पंचायत बालीथल द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार भी प्रार्थी का असली नाम बबलू जांगिड़ है। पेशकार सरकार ने भी अपने जवाब में बाबू के स्थान पर बबलू किये जाने में अपनी आपत्ति प्रस्तुत नहीं की है।

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रार्थी का नाम बाबू न होकर सही नाम बबलू है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम बाबू के स्थान पर बबलू दर्ज कराया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार उनियारा को आदेशित किया जाता है कि वे ग्राम बालीथल तहसील उनियारा खाता संख्या 95, 96, 97 व 98 में बाबू पुत्र रामनिवास के स्थान पर बबलू पुत्र रामनिवास अंकित कर राजस्व रेकार्ड को दुरुस्त करें। पालना हेतु तहसीलदार उनियारा को लिखा जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दफ्तर दाखिल हो।

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक

Scanned by CamScanner